


| दिनांक | आदेश फलक | अभियुक्ति |
|-----------------|---|-----------|
| <p>10.04.18</p> | <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित जमाबंदी रैयत का नोटिस तामिला प्राप्त हुआ। नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत के वंशज द्वारा उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित दस्तावेजो/निर्गत लगान रसीद की प्रति एवं अन्य राजस्व दस्तावेजो की प्रति समर्पित किया है/नहीं किया है, जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>16.04.18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित किया है, कि उपर्युक्त भू-खण्ड गैर आबाद खाता की है। मौजा <u>तरना</u> थाना सं० <u>223</u> खाता सं० <u>128</u> प्लॉट सं० <u>—</u> कुल रकवा <u>0.492</u> ^{एकड़} जो जमाबंदी संख्या—<u>194</u> में निहित है। जमाबंदी रैयतों के वंशज द्वारा समर्पित साक्ष्य स्वरूप सरकारी भूमि का दस्तावेज व लगान रसीद समर्पित हैं। वर्णित जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर निर्गत लगान रसीद/जबर दखल के आधार पर जमाबंदी कायम की गयी है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त विवरणी की भूमि की सृजित जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वर्णित जमाबंदी सं०—<u>194</u> को रद्द करने हेतु जाँच प्रतिवेदन प्रतिवेदित किया है। अनुशासित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अभिलेख मूल में आवश्यक कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद को भेजे।</p> <p style="text-align: right;">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p> | |

अभिलेख आज उपस्थापित/ अंचल अधिकारी 21/12/18/..... के पत्रांक
..... 808 दिनांक 18/4/18 द्वारा अभिलेख प्राप्त है। जमाबंदी धारक को अपना
पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत कर एवं अभिलेख दिनांक 22/6/18 को प्रस्तुत
करे।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता
धनबाद